न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ.लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 15/2019

प्रार्थी :–
सुजाराम पुत्र मुणेशराम जाति जाट
निवासी जालीवाड़ा कलां तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. उगराराम पुत्र दलाराम
2. ढगलाराम पुत्र दलाराम जातियान जाट निवासीयान खारीया अनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
3. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता : श्री अभिषेक कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 12.11.2016

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– जालीवाड़ा कलां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 159/3 रकबा 1.1407 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई है । प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 159/3 रकबा 1.1407 हैक्टयर भूमि के चिपता पश्चिम तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 158 रकबा 1.5776 हैक्टयर भूमि आयी हुई है । प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. एक दो के मध्य सेटलमेंट समय से पुरानी माठ कायम है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जासुद जमीन पर काबिज काश्त है लेकिन अप्रार्थीगण सं. एक व दो बीच की माठ को खुर्द बुर्द करते आ रहे है तथा बीच की माठ को खुर्द बुर्द कर अप्रार्थी सं. एक व दो ने अपनी जमीन में मिला दी तथा आए दिन बीच की पाली को खुर्द बुर्द करते आ रहे है जिसको लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. एक व दो के मध्य कई बार कहासुनी हो गयी लेकिन अप्रार्थीगण मान नही रहे है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अपनी अपनी जमीन का नाप चौप करवाने का कहा लेकिन अप्रार्थीगण सं. एक व दो नाप चौप भी नही करवा रहे है । इसलिए प्रार्थीगण को अपनी जमीन का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है । अप्रार्थीगण सं. एक व दो दिनांक 20.1.2019 को प्रार्थी की वादग्रस्त जमीन के अन्दर माठ/पाली खुर्द बुर्द करने लगे जिस पर प्रार्थी ने मना किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच की माठ को तो अप्रार्थीगण ने खुर्द बुर्द कर अपनी जमीन में मिला दी तथा अब प्रार्थी की जमीन के अन्दर बनी पाली को अप्रार्थीगण खुर्द बुर्द नही करे इस पर अप्रार्थीगण झगड़ा करने पर उतारू हो गये तथा प्रार्थी को ऐलानिया रूप से धमकी दी कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की वादग्रस्त जमीन में बनी पाली /माठ को भी खुर्द बुर्द कर देगे तथा प्रार्थी की जमीन के अन्दर अतिक्रमण कर देगे, जबकि उन्है ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है । जिसके लिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है । अप्रार्थीगण झगड़ालु प्रकृति के व्यक्ति है तथा हर रोज बीच की माठ को लेकर झगड़ा करते है जिसके लिए प्रार्थी अपनी जमीन के खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा हेतु अपनी वादग्रस्त आराजी का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिसकें लिए प्रार्थी पत्थर उपलब्ध करवाने को तैयार है । प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी जालीवाड़ा कलां की राजस्व सीमा में स्थित होने से वादपत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद पेश है । अतः प्रार्थन पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम जालीवाड़ा कलां की सीमा में स्थित प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 159/3 रकबा 1.1407 हैक्टयर भूमि का नाप चौप करवाकर सीमांकन करवाकर चारो तरफ पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश फरमावें ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा कि ग्राम जालीवाड़ा कलां के खसरा नम्बर 159/3 रकबा 1.1407 हैक्टयर का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्यायसंगत है एवं प्रार्थी वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा सुदा भूमि है । जिस पर प्रार्थीगण पीढ़ियो से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिये वादग्रसत आराजी का नाप चौप व सीमांकन करवा कर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम जालीवाड़ा कलां के खसरा नम्बर 159/3 रकबा 1.1407 हैक्टयर भूमि का टीम गठित कर नाप चौप व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

(डॉ. लक्ष्मी नारायणर बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 27.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

(डॉ. लक्ष्मी नारायणर बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner